

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक— प्र01/गै0यो0बजट-02/2014
प्रेषक,

पटना, दिनांक—

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2017—18 में बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वेतन एवं वेतनादि के अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से सहायक अनुदान के रूप में 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये की भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या—811 दिनांक—13.03.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017—18 में बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) को वेतन एवं वेतनादि के अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद से सहायक अनुदान के रूप में 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये की भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 2810—अपारम्परिक श्रोत, उप मुख्य शीर्ष—60—अन्य, लघु शीर्ष—600—ऊर्जा के अन्य श्रोत, मांग संख्या— 10 ऊर्जा विभाग उपशीर्ष—0002— बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी सहायक अनुदान विपत्र कोड—10—2810606000002 विषय शीर्ष—31 04 सहायक अनुदान— वेतन मद से 5.3324 करोड़ रूपये एवं 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में 26.68 लाख रूपये। कुल 5.5992 करोड़ (पाँच करोड़ उन्नसठ लाख वानवे हजार) रूपये मात्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।
आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
100878000.00	00.00	55992000.00	55992000.00	44886000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबधित राशि के अधीन है।

(10)

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी नहीं करेंगे। इस राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से ब्रेडा, पटना को प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/गै0यो0बजट.02/2014

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/गै0यो0बजट-02/2014 27

पटना, दिनांक- 15/03/2018

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(3)